

वेबसाइट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in) से  
डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च 2016-फाल्गुन 14, शके 1937

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### न्यायालयों की सूचनाएं

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH  
BENCH AT INDORE  
(ORIGINAL JURISDICTION)

COMPANY PETITION No. 01 of 2016

In the matter of the Companies Act, 1956 (1) of 1956;

AND

In the matter of Section 391 to 394 of the Companies Act, 1956,

AND

In the matter of Scheme of Amalgamation

In the Matter of

**KODIXODEL PRIVATE LIMITED,**  
a Company incorporated under the  
Companies Act, 1956 and having its  
registered office at 204-A Corporate  
House, 169 R.N.T. Marg, Indore in the  
State of Madhya Pradesh.

.....Petitioner No. 1/Transferee Company

**PARAG PENTACHEM PRIVATE LIMITED,**  
a Company incorporated under the  
Companies Act, 1956 and having its  
registered office at , 204-A , Corporate  
House, 169 R.N.T. Marg, Indore in the  
State of Madhya Pradesh.

.....Petitioner No. 2/Transferor Company

### NOTICE OF HEARING OF PETITION

Notice is hereby given that a Petition for obtaining the sanction of Hon'ble High Court for Amalgamation of Parag Pentachem Private Limited with Kodixodel Private Limited ,and their respective shareholders under the provisions of sections 391 to 394 of the Companies Act, 1956 was presented on 14<sup>th</sup> day of January, 2016 and the same shall be heard by the Hon'ble Court on 30<sup>th</sup> March, 2016.

Any person desirous of supporting or opposing the said Petition should send to the Petitioners at their respective registered office above or to their Advocate notice of such intention signed by him or counsel so as to reach the Petitioner or its Advocate not later than 2 days before the date fixed for hearing of the Petition and appear at the hearing for the purpose in person or by his Advocate. A copy of the petition will be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same. Any affidavit intended to be used in opposition to the Petition should be filed in the Hon'ble Court and a copy be served on the respective Petitioner or their Advocate not less than 2 days before the date fixed for the hearing.

**B.M. MAHESHWARI,**

Indore, Dated 28-01-2016.

(656-B.)

Advocate for the Petitioners  
225,Milinda Manor, II Floor,  
Opp. Central Mall 2, R.N.T., Marg,  
Indore-452001 (M. P.).

### अन्य सूचनाएं

#### नाम परिवर्तन

मैं, प्रफुल्ल कुमार ब्यौहार आत्मज स्व. श्री गनपत राय ब्यौहार, निवासी प्रवीण हाउस, वार्ड नं. 08, सिहोरा, जिला जबलपुर शपथ पूर्वक यह घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री रैना ब्यौहार की कक्षा 10वीं सी. बी. एस.ई. रोल नं. 1204208 की अंकसूची में पिता के नाम की स्पेलिंग PRAFUL KUMAR BEOHAR मुद्रित की गई है जो कि सही नहीं है, जबकि उसी परीक्षा के प्रवेश-पत्र में पिता के नाम की स्पेलिंग PRAFULL KUMAR BEOHAR मुद्रित है जो कि सही है। अतः भविष्य में जहां भी उक्त अंकसूची आवश्यक हो उसे PRAFULL KUMAR BEOHAR लिखा एवं पढ़ा जावे।

गलत स्पेलिंग- PRAFUL KUMAR BEOHAR

पुराना नाम :

सही स्पेलिंग- PRAFULL KUMAR BEOHAR

नया नाम :

**( PRAFUL KUMAR BEOHAR )**

( प्रफुल्ल कुमार ब्यौहार )

प्रवीण हाउस वार्ड नं. 8 सिहोरा,  
जिला-जबलपुर (म.प्र.) 483225.

(640-बी.)

( प्रफुल्ल कुमार ब्यौहार )

आत्मज स्व. श्री गनपत राय ब्यौहार  
निवासी-प्रवीण हाउस वार्ड नं. 8 सिहोरा,  
जिला-जबलपुर (म.प्र.) 483225.

#### नाम परिवर्तन

मैं, आशीष गुप्ता सभी को सूचित करता हूँ कि पूर्व में मेरा नाम आशीष कुमार गुप्ता था, जिसे अब बदलकर आशीष गुप्ता कर लिया है। अतः अब से मेरे, मेरी पत्नी एवं मेरे बच्चों के समस्त दस्तावेजों में मुझे आशीष गुप्ता के नाम से ही लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम :

नया नाम :

( आशीष कुमार गुप्ता )

(651-बी.)

( आशीष गुप्ता )

नेमीनाथ नगर, बड़वानी (म.प्र.).

#### CHANGE OF NAME

I, Bhoopendra Singh declare that my name in my 10<sup>th</sup> marksheets has been wrongly entered as Bhupendra. But my correct name in all my documents is Bhoopendra Singh. Hence I should be known & called as Bhoopendra Singh.

Old Name :

New Name :

**( BHUPENDRA )**

(657-B.)

**( BHOOPENDRA SINGH )**

House No.-960, Pratap Nagar Colony,  
Vidisha Road, Bhanpur, Bhopal (M.P.).

### CHANGE OF NAME

I, PREETI MATHUR changed my name to after marriage NANDITA SHRIVASTAVA and now I would be known as NANDITA SHRIVASTAVA.

Old Name :

(PREETI MATHUR )

New Name :

( NANDITA SHRIVASTAVA )

W/o Subodh Shrivastava

Add—16-C, Sainath Colony,

Indore (M.P.).

(653-B.)

### नाम परिवर्तन

मुझ प्रकाशनकर्ता डॉ. पुरेन्द्र भसीन, निवासी जी-36, गांधी नगर, ग्वालियर (म.प्र.) के पुत्र का पुराना नाम पार्थ भसीन है, उसका जन्म दिनांक 08-07-1999 है। मुझ प्रकाशनकर्ता ने अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर पार्थ देव भसीन (PARTH DEV BHASIN) कर लिया है। अब भविष्य में मेरे पुत्र को पार्थ देव भसीन (PARTH DEV BHASIN) के नाम से जाना व पहचाना जावे तथा समस्त रिकॉर्ड एवं दस्तावेजों में यही परिवर्तित नाम पढ़ा जावे।

पुरेन्द्र भसीन,

जी-36, गांधी नगर, ग्वालियर (म.प्र.).

(654-बी.)

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र श्री लबकुश पाल की 10वीं की अंकसूची में मेरा नाम श्रीमती श्यामकली अंकित है। मेरे अन्य दस्तावेजों में रामकली अंकित है, जो कि घरू नाम है दोनों नाम मेरे ही हैं।

अतः भविष्य में मुझे श्रीमती श्यामकली उर्फ रामकली पत्नी श्री दिनेश पाल के नाम से जाना एवं पहचाना एवं पढ़ा-लिखा जावे।

( श्यामकली उर्फ रामकली )

पत्नी- श्री दिनेश पाल,

निवासी-ग्राम/पोस्ट छिंबौरा,

तहसील रामपुर-बाबेलान, जिला सतना (म.प्र.).

(655-बी.)

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स सुधीन्द्र सिंह कॉन्ट्रैक्टर्स, 55-एम. आई. जी. दर्पण कॉलोनी, ठाठीपुर, ग्वालियर (म.प्र.) ने 01-01-2016 को अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर श्री रघुराजपाल जादौन पुत्र स्व. श्री चिम्मनपाल जादौन, नि. 75, शिवाजी नगर, ठाठीपुर, ग्वालियर (म.प्र.) को फर्म से हटा दिया गया है। भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में इनका कोई लेन-देन नहीं रहेगा एवं अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर नवीन साझेदार के रूप में श्री आशीष सिंह कुशवाह पुत्र श्री सुधीन्द्र सिंह कुशवाह, निवासी-55, एम. आई. जी. दर्पण कॉलोनी, ठाठीपुर, ग्वालियर (म.प्र.) को सम्मिलित किया गया है। भविष्य में फर्म से संबंधित सभी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार हैं।

मैसर्स सुधीन्द्र सिंह कॉन्ट्रैक्टर्स,

सुधीन्द्र सिंह कुशवाह।

(641-बी.)

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स शिवराजपाल रघुराजपाल एण्ड कम्पनी स्थित-75, शिवाजी नगर ठाठीपुर, ग्वालियर (म.प्र.) ने 01-01-2016 को अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर श्रीमती हेमलता सिंह पत्नि श्री बलबहादुर सिंह, निवासी-102, संभवनाथ अपार्टमेंट 60, गीता नगर, इन्दौर एवं श्री सुधीन्द्र सिंह कुशवाह पुत्र स्व. श्री रणवीर सिंह कुशवाह, निवासी-55-एम. आई. जी. दर्पण कॉलोनी, ठाठीपुर, ग्वालियर (म.प्र.) को फर्म से हटा दिया गया है और साथ ही नवीन साझेदार के रूप में श्रीमती शालिनी जादौन पत्नि श्री बृजराज पाल सिंह जादौन एवं श्रीमती रश्मि जादौन पत्नि श्री महाबीर पाल सिंह जादौन, निवासी-75, शिवाजी नगर ठाठीपुर, ग्वालियर (म.प्र.) को सम्मिलित किया गया है। भविष्य में फर्म से संबंधित सभी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार हैं।

मैसर्स शिवराजपाल रघुराजपाल एण्ड कम्पनी,

(642-बी.)

सूरजपाल जादौन.

**जाहिर सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती नीलम जैन “गिरिया” पति श्री कपिल जैन “गिरिया” भागीदारी फर्म मैसर्स सागर रियलिटिस, 26, एम. आई. जी., हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.) में से दिनांक 19-08-2015 को भागीदारी से पृथक् हो गई हैं एवं इस भागीदारी फर्म में दिनांक 19-08-2015 से एक नये भागीदारी आयुष जैन “गिरिया” पिता श्री सुशील जैन “गिरिया”, निवासी-37/2, नवचेतन परिसर, क्षपणक मार्ग, उज्जैन (म.प्र.) शामिल हो गये हैं।

इस परिवर्तन के पश्चात् दिनांक 19-08-2015 से भागीदारी फर्म मैसर्स सागर रियलिटिस, 26, एम. आई. जी., हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.) में निम्नलिखित भागीदार हैं। (1) कपिल जैन “गिरिया” पिता स्व. श्री बसंतीलाल जैन “गिरिया”, (2) नवीन जैन “गिरिया” पिता स्व. श्री बसंतीलाल जैन “गिरिया”, (3) संजय जायसवाल पिता श्री रमेशचंद्र जायसवाल, (4) रितेश जायसवाल, पिता श्री रमेशचंद्र जायसवाल, (5) विजयकुमार जैन “भारतीय” पिता श्री सुभाषचंद्र जैन “भारतीय”, (6) आशीष जैन “भारतीय” पिता श्री सुभाषचंद्र जैन “भारतीय”, (7) आयुष जैन “गिरिया” पिता श्री सुशील जैन “गिरिया”।

वास्ते—मैसर्स सागर रियलिटिस,

कपिल जैन,

26, एम. आई. जी., हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी,  
उज्जैन (म.प्र.).

(643-बी.)

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स-लक्ष्मणदास एण्ड संस, निवास-हरिहर रोड, हरपालपुर, तहसील नौगाँव, जिला (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक 06/12/03/00185/14, पंजीयन दिनांक 20-03-2014 को गठित होकर पंजीयत हुई जिसमें प्रमोद कुमार अग्रवाल, विनोद कुमार अग्रवाल भागीदार हैं और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पुनः भागीदारी डीड अपने कम्पनी फार्मेट पर अपने नियमानुसार बनबा दी है और आज दिनांक 07-11-2015 से कम्पनी के फोर्मेट पर बनबाई गई भागीदारी डीड यथावत् चालू रहेगी।

सूचनाकर्ता,

प्रदीप कुमार अग्रवाल,

(भागीदार).

(644-बी.)

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स-आर. बी. एस. ब्रिक्स 257, ग्राम मिडका, तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) जो कि दिनांक 15-05-2015 को गठित होकर पंजीयत हुई। जिसमें भूपिन्दर सिंह, राजेन्द्र सिंह राजपूत, रामपाल राजपूत भागीदार थे और दिनांक 25-08-2015 को श्रीमती प्रीति राजपूत फर्म में शामिल हो गई हैं। आज दिनांक 25-08-2015 से संशोधित फर्म में निम्नलिखित भागीदार हैं—भूपिन्दर सिंह, राजेन्द्र सिंह राजपूत, रामपाल राजपूत, श्रीमती प्रीति राजपूत।

सूचनाकर्ता,

राजेन्द्र सिंह राजपूत

(भागीदार).

(645-बी.)

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स-आर. बी. एस. ब्रिक्स 257, ग्राम मिडका, तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) जो कि दिनांक 15-05-2015 को गठित होकर पंजीयत हुई। एवं संशोधित दिनांक 25-08-2015 जिसमें भूपिन्दर सिंह, राजेन्द्र सिंह राजपूत, रामपाल राजपूत, श्रीमती प्रीति राजपूत भागीदार थे और दिनांक 16-10-2015 को भूपिन्दर सिंह, राजेन्द्र सिंह राजपूत, रामपाल राजपूत ने अपनी स्वेच्छा से बाहर हो गये हैं। इस बजह से आज दिनांक 06-10-2015 से भागीदारी फर्म का अस्तित्व खत्म हो गया और अब यह व्यापार प्रोपराइटरशिप में संचालित होगा। श्रीमती प्रीति राजपूत द्वारा।

सूचनाकर्ता,

प्रीति राजपूत

(भागीदार).

(646-बी.)

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स-सी.टू.सी. इन्शोरेंस सर्विसेस, निवास-03, जवाहर रोड, आई. सी. आई. बैंक

के सामने वाली गली नं. 2, छतरपुर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 06/12/01/0072/15, पंजीयन दिनांक 15-09-2015 को गठित होकर पंजीयत हुई, जिसमें राकेश रिछारिया, मंजू रिछारिया, रामानंद गंगेले, तरुण रावत भागीदार थे और दिनांक 11-12-2015 को रामानंद गंगेले, तरुण रावत ने अपनी स्वेच्छा से फर्म से बाहर हो गये और आज दिनांक 11-12-2015 से संशोधित फर्म में निम्नलिखित भागीदार-राकेश रिछारिया और मंजू रिछारिया हैं।

सूचनाकर्ता,  
मंजू रिछारिया  
(भागीदार).

(647-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स-श्री नर्सिंग स्टोन क्रेशर पायक, निवास-डी. आई.जी. ऑफिस के सामने जबाहर रोड, छतरपुर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 06/12/01/00090/14, पंजीयन दिनांक 15-09-2014 को गठित होकर पंजीयत हुई जिसमें अजय सिंह पायक, दीपक अरजरिया, पुष्पा गुप्ता, राकेश दुबेदी, अम्बुज कुमार चंसोरिया भागीदार थे और दिनांक 16-11-2015 को अजय सिंह पायक, दीपक अरजरिया, पुष्पा गुप्ता ने अपनी स्वेच्छा से फर्म से बाहर हो गये और दिनांक 16-11-2015 को शील चन्द्र राय, धर्मेन्द्र राय फर्म में शामिल हो गए हैं। आज दिनांक 16-11-2015 से संशोधित फर्म में निम्नलिखित भागीदार हैं राकेश दुबेदी, अम्बुज कुमार चंसोरिया, शील चन्द्र राय, धर्मेन्द्र राय एवं आज दिनांक 16-11-2015 को कार्यालय का स्थानांतरण हो गया है तो आज दिनांक 16-11-2015 से वार्ड नम्बर 23, मरिया माता स्कूल के पास चौबे कॉलोनी, छतरपुर (म.प्र.) पर कार्यालय स्थित हो गया है।

सूचनाकर्ता,  
राकेश दुबेदी  
(भागीदार).

(648-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स-मंगलम स्टोन केशर, 255, पायक, निवास डी. आई. जी. ऑफिस के सामने जबाहर रोड, छतरपुर (म.प्र.) जो की दिनांक 29-07-2015 को गठित होकर पंजीयत हुई जिसमें अजय सिंह पायक, विक्रम सिंह, रवि प्रताप सिंह भागीदार थे और दिनांक 16-11-2015 को रवि प्रताप सिंह ने अपनी स्वेच्छा से फर्म से बाहर हो गये और दिनांक 16-11-2015 को श्रीमती देव कुमारी सिंह चौहान फर्म में शामिल हो गई हैं। आज दिनांक 16-11-2015 से संशोधित फर्म में निम्नलिखित भागीदार हैं-अजय सिंह पायक, विक्रम सिंह एवं श्रीमती देव कुमारी सिंह चौहान।

सूचनाकर्ता,  
अजय सिंह पायक  
(भागीदार).

(649-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म-मैसर्स शिव शक्ति कन्स्ट्रक्शन कम्पनी स्थित 7, रैन हाउस, कवि नगर, ऐयर पोर्ट रोड, ग्वालियर में दिनांक 10-02-2016 को भागीदार श्री एस. के. सिंह राजावत (जुदेव) पुत्र स्व. श्री राणाप्रताप सिंह राजावत (जुदेव), निवासी-7, रैन हाउस कवि नगर, ऐयर पोर्ट रोड, ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गए हैं एवं इसी दिनांक 10-02-2016 से फर्म का स्थान 7, रैन हाउस कवि नगर, ऐयर पोर्ट रोड, ग्वालियर से नवीन स्थान 42, कुन्द्र नगर नियर ए. जी. ऑफीस हो गया है। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

फर्म-मैसर्स शिव शक्ति कन्स्ट्रक्शन कम्पनी,  
नेश गुप्ता,  
(भागीदार)

(650-बी.)

7, रैन हाउस, कवि नगर,  
ऐयर पोर्ट रोड, ग्वालियर।

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स विजय श्री एवं अमर ज्योति डेव्लपर्स शुभांकर कॉम्पलेक्स राईट टाउन स्टेडियम, जबलपुर एक पंजीकृत साझेदारी फर्म (रजि. नं. 04/14/01/00415/12) के रूप में कार्य कर रही है अब संशोधित साझेदारी विलेख दिनांक 18 जनवरी, 2016 द्वारा—(1) श्रीमति सिमरन डींगरा पति श्री रवि डींगरा, आयु 33 वर्ष, निवासी सुजन हाउस कंगा जबलपुर,

(2) श्री मयूर डोंगरा पुत्र श्री सुरेश डोंगरा, आयु 28 वर्ष, निवासी 943, दत्त इन्कलेब नेपियर टाउन, जबलपुर स्वेच्छा से त्याग-पत्र देकर हट रहे हैं। इस संशोधित साझेदारी विलेख दिनांक 18 जनवरी, 2016 द्वारा उपरोक्त फर्म में नवीन भागीदार—(1) श्री कपिल देव पुत्र स्व. बलदेव सिंह, आयु 36 वर्ष, निवासी-बी-1, प्रियदर्शनी कॉलोनी, डुमना रोड, जबलपुर एवं (2) श्रीमती शोफाली बेदी पति श्री कपिल देव, आयु 33 वर्ष, निवासी-बी-1, प्रियदर्शनी कॉलोनी, डुमना रोड, जबलपुर इस फर्म में सम्मिलित हो गये हैं।

सर्व जन सूचित हो।

फर्म-विजय श्री एवं अमर ज्योति डेव्हलपर्स,

हिमांशी जैन, चंचल जैन,

(भागीदार)।

(652-बी.)

## विविध

### आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

#### कार्यालय कलेक्टर, जिला गुना

गुना, दिनांक 03 फरवरी, 2016

क्र./एस.सी./9-20/23/04/152.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक-04 के नियम-08 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम.3-2/1999/1/4, दिनांक 30 मार्च, 1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, राजेश जैन, कलेक्टर, जिला गुना, वर्ष-2016 के लिए गुना जिले में तीन स्थानीय अवकाश पूर्ण दिवस के निम्नानुसार घोषित करता हूँः—

स. क्र.	दिनांक	दिन (वार)	त्योहार
1.	28-03-2016	सोमवार	रंग पंचमी
2.	05-09-2016	सोमवार	गणेश चतुर्थी
3.	31-10-2016	सोमवार	दीपावली का दूसरा दिन (गोवर्धन पूजा)

यह अवकाश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होगे।

राजेश जैन,

कलेक्टर।

(161)

### न्यायालयों की सूचनाएं

#### न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट राजपुर, जिला बड़वानी

रा.प्र.क्र./1/बी-113/2015-16.

(फार्म नम्बर-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स-5 (1) के अन्तर्गत]

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, राजपुर के समक्ष।

आवेदक नरेन्द्र पिता डेमनिया डावर एवं अन्य 10, निवासी लफनगांव, तहसील राजपुर, अध्यक्ष श्री हनुमान मंदिर संस्था, ग्राम सालीटांडा द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत श्री हनुमान मंदिर सालीटांडा के न्यास को सार्वजनिक न्यास के अन्तर्गत पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

उक्त पंजीयन के संबंध में जिस किसी को कोई आपत्ति हो तो वह नोटिस के प्रकाशन के एक माह की अवधि के भीतर दो प्रतियों में मेरे समक्ष या तो स्वयं या अधिकृत व्यक्ति अथवा जरिये अभिभाषक के न्यायालयीन समय में प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्रस्तुत किये जाने वाले सुझाव अथवा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे समक्ष एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

अभय सिंह खरारी,

(162)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

**न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास बड़वाहा**

प्रकरण क्र. 01/बी-113(1)/2015-16.

**(फार्म-4)**

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-5 (2) एवं

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स 1952 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष पंजीयक, लोक न्यास, बड़वाहा.

चूंकि प्रार्थी श्री हरिश पिता श्री रमेशचंद्र चौकडे, निवासी 'संत निवास' 277, सोलंकी कॉलोनी, सनावद, प्रबंधक ट्रस्टी, द्वारा "श्री श्यामलांगी गो सेवा तीर्थ ट्रस्ट" के नाम से कस्बा सनावद में ट्रस्ट पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-4 के अन्तर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल/अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर इस न्यायालय में विचार किया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें। निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अ.क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग	राशि
1.	नगद	-	-	23,000-00 रुपये
2.	अचल सम्पत्ति	-	-	-

एम. आर. धुर्वे,

(163)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व),

एवं पंजीयक.

**न्यायालय पंजीयक सार्वजनिक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (महू), जिला इन्दौर**

महू, दिनांक 11 फरवरी, 2016

**(फार्म-चार)**

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

क्र./330/पं.सा.न्या./2015-16.—“श्री सांवरिया पारमार्थिक ट्रस्ट” मनकेश्वर महादेव मंदिर, महूगाँव, तहसील महू, जिला इन्दौर (म.प्र.) की ओर से डॉ. राजेन्द्र कुमार बड़गे “अध्यक्ष” ओल्ड राधा स्वामी केम्पस कांकडपुरा, महूगाँव, तहसील महू, जिला इन्दौर म.प्र. द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यायर के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं। अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

**“परिशिष्ट”**

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं चल/अचल सम्पत्ति का विवरण)

संस्था का नाम	:	“श्री सांवरिया पारमार्थिक ट्रस्ट”.
पता	:	मनकेश्वर महादेव मंदिर, महूगाँव, तहसील महू, जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 50,000/- सेविंग खाते में एवं रुपये 50,000/- की एफ. डी. बैंक ऑफ इंडिया शाखा धारनाका महूगाँव, जिला इन्दौर (म.प्र.).

आज दिनांक फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

संदीप जी. आर.,

(164)

पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

## न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

( फार्म-चार )

[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 ( तीस ) ( 95 ) की धारा-5 ( 2 ) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 ( 1 ) के अन्तर्गत ]

आवेदक रामबाबू अग्रवाल आदि, निवासी-यू अग्रवाल नगर 121/47 इन्दौर, के द्वारा रामबाबू मथुरालालजी अग्रवाल परमार्थिक न्यास, कार्यालय पता-138/47, महालक्ष्मी अपार्टमेंट, भगवानदीन नगर इन्दौर म.प्र. द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् ( 30 दिन ) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यायार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

### परिशिष्ट

( पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता एवं चल/अचल सम्पत्ति का विवरण )

ट्रस्ट का नाम	:	रामबाबू मथुरालालजी अग्रवाल परमार्थिक न्यास.
पता	:	कार्यालय पता-138/47, महालक्ष्मी अपार्टमेंट, भगवानदीन नगर इन्दौर ( मध्यप्रदेश ).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 75,000/- ( रु. पच्चोत्तर हजार मात्र ).

आज दिनांक 05 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

( 165 )

### ( फार्म-चार )

[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 ( तीस ) ( 95 ) की धारा-5 ( 2 ) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 ( 1 ) के अन्तर्गत ]

आवेदक श्री डॉ. अनिल शर्मा व डॉ. नटवर शारदा अन्य पता-115, उषा नगर एक्सटेंशन, इन्दौर जिला इन्दौर के द्वारा अनिल एण्ड प्रगति चेरिटेबल फाउण्डेशन, कार्यालय पता-सी. ए. 13ए, हाई, आर. एस. एस. नगर, इन्दौर म.प्र. द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् ( 30 दिन ) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यायार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

### परिशिष्ट

( पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता एवं चल/अचल सम्पत्ति का विवरण )

ट्रस्ट का नाम	:	अनिल एण्ड प्रगति चेरिटेबल फाउण्डेशन.
पता	:	कार्यालय पता-सी. ए. 13ए, हाई, आर. एस. एस. नगर, इन्दौर ( मध्यप्रदेश ).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 50,000/- ( रु. पचास हजार मात्र ).

आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

( 165-A )

वरद मूर्ति मिश्रा,  
रजिस्ट्रार.

## अन्य सूचनाएं

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,  
ग्वालियर लेदर शू मेकर कर्मचारी गृह निर्माण  
सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

ग्वालियर लेदर शू मेकर कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर./04, दिनांक 08 अक्टूबर, 1959 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण नहीं कराया गया है, कि आपकी संस्था अकार्यशील स्थिति में है तथा जिन उद्देश्यों के लिये गठित की गई है, उनको पूर्ण करने में पूर्णतः असफल है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदानुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(166)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,  
सरस्वती सदन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,  
ग्वालियर।

सरस्वती सदन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर./19, दिनांक 30 मार्च, 1962 है, के संबंध में अभिलेखों के आधार पर संस्था लगातार अकार्यशील है तथा मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम एवं नियम-1962 में वर्णित प्रावधान अनुसार असफल रही है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 21 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदानुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(166-A)

**“कारण बताओ सूचना-पत्र”**

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 ( 3 ) के अन्तर्गत ]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,

अनुपंग गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,

ग्वालियर.

अनुपंग गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर./23, दिनांक 03 मार्च, 1962 है, के संबंध में अभिलेखों के आधार पर संस्था लगातार अकार्यशील है तथा मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम एवं नियम-1962 में वर्णित प्रावधान अनुसार असफल रही है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 21 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदानुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

( 166-B )

**“कारण बताओ सूचना-पत्र”**

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 ( 3 ) के अन्तर्गत ]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,

राजस्व मण्डल कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था

मर्या., ग्वालियर.

राजस्व मण्डल कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर./62, दिनांक 27 जनवरी, 1976 है, के संबंध में अभिलेखों के आधार पर संस्था लगातार अकार्यशील है तथा मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम एवं नियम-1962 में वर्णित प्रावधान अनुसार असफल रही है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 21 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदानुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

( 166-C )

**“कारण बताओ सूचना-पत्र”**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,

भारत गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

भारत गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर./194, दिनांक 18 अगस्त, 1992 है, के संबंध में अभिलेखों के आधार पर संस्था लगातार अकार्यशील है तथा मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम एवं नियम-1962 में वर्णित प्रावधान अनुसार असफल रही है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 21 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदानुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(166-D)

**“कारण बताओ सूचना-पत्र”**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,

महिमा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर।

महिमा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर./234, दिनांक 02 नवम्बर, 1995 है, के संबंध में अभिलेखों के आधार पर संस्था लगातार अकार्यशील है तथा मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम एवं नियम-1962 में वर्णित प्रावधान अनुसार असफल रही है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 21 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदानुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(166-E)

**“कारण बताओ सूचना-पत्र”**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,

अलंकार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,

ग्वालियर.

अलंकार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर./251, दिनांक 27 अगस्त, 1996 है, के संबंध में अभिलेखों के आधार पर संस्था लगातार अकार्यशील है तथा मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम एवं नियम-1962 में वर्णित प्रावधान अनुसार असफल रही है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 21 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदानुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(166-F)

**“कारण बताओ सूचना-पत्र”**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,

माँ शीतला गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,

ग्वालियर.

माँ शीतला गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर./404, दिनांक .....है, के संबंध में अभिलेखों के आधार पर संस्था लगातार अकार्यशील है तथा मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम एवं नियम-1962 में वर्णित प्रावधान अनुसार असफल रही है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 21 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदानुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(166-G)

**“कारण बताओ सूचना-पत्र”**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,

कलेक्टर कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या.,

ग्वालियर.

कलेक्टर कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर./328, दिनांक 10 जुलाई, 1972 है, के संबंध में अभिलेखों के आधार पर संस्था लगातार अकार्यशील है तथा मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम एवं नियम-1962 में वर्णित प्रावधान अनुसार असफल रही है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 21 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदानुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(166-H)

**“कारण बताओ सूचना-पत्र”**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,

ग्वालियर आदर्श परस्पर साख सहकारी संस्था

मर्या., ग्वालियर.

ग्वालियर आदर्श परस्पर साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर./666, दिनांक..... है, के संबंध में अभिलेखों के आधार पर संस्था लगातार अकार्यशील है तथा मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम एवं नियम-1962 में वर्णित प्रावधान अनुसार असफल रही है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 21 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदानुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(166-I)

**“कारण बताओ सूचना-पत्र”**

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 ( 3 ) के अन्तर्गत ]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,

आर्थिक साख सहकारी संस्था मर्या.,

ग्वालियर.

आर्थिक साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर./171, दिनांक 11 अप्रैल, 1969 है, के संबंध में अभिलेखों के आधार पर संस्था लगातार अकार्यशील है तथा मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम एवं नियम-1962 में वर्णित प्रावधान अनुसार असफल रही है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 21 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदानुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

( 166-J )

**“कारण बताओ सूचना-पत्र”**

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 ( 3 ) के अन्तर्गत ]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,

सिटीजन वैलफेयर साख सहकारी संस्था मर्या.,

ग्वालियर.

सिटीजन वैलफेयर साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर./893, दिनांक 16 नवम्बर, 1999 है, के संबंध में अभिलेखों के आधार पर संस्था लगातार अकार्यशील है तथा मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम एवं नियम-1962 में वर्णित प्रावधान अनुसार असफल रही है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 21 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदानुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

( 166-K )

**“कारण बताओ सूचना-पत्र”**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,

सर्वजन साख सहकारी संस्था मर्या.,

ग्वालियर.

सर्वजन साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर./985, दिनांक 04 अप्रैल, 2009 है, के संबंध में अभिलेखों के आधार पर संस्था लगातार अकार्यशील है तथा मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम एवं नियम-1962 में वर्णित प्रावधान अनुसार असफल रही है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 21 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदानुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(166-L)

**“कारण बताओ सूचना-पत्र”**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,

शारदा साख सहकारी संस्था मर्या.,

ग्वालियर.

शारदा साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर./1021, दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 है, के संबंध में अभिलेखों के आधार पर संस्था लगातार अकार्यशील है तथा मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम एवं नियम-1962 में वर्णित प्रावधान अनुसार असफल रही है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 21 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदानुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(166-M)

**“कारण बताओ सूचना-पत्र”**

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 ( 3 ) के अन्तर्गत ]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,

मर्केनटाईल साख सहकारी संस्था मर्या., डबरा,

जिला ग्वालियर.

मर्केनटाईल साख सहकारी संस्था मर्या., डबरा, जिला ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर./441, दिनांक 09 सितम्बर, 2014 है, के संबंध में अभिलेखों के आधार पर संस्था लगातार अकार्यशील है तथा मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम एवं नियम-1962 में वर्णित प्रावधान अनुसार असफल रही है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 21 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदानुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(166-N)

**“कारण बताओ सूचना-पत्र”**

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 ( 3 ) के अन्तर्गत ]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,

शिक्षित बेरोजगार साख सहकारी संस्था मर्या.,

ग्वालियर.

शिक्षित बेरोजगार साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर./440, दिनांक 25 मई, 1986 है, के संबंध में अभिलेखों के आधार पर संस्था लगातार अकार्यशील है तथा मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम एवं नियम-1962 में वर्णित प्रावधान अनुसार असफल रही है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 21 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदानुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(166-O)

**“कारण बताओ सूचना-पत्र”**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,

वीर सुभाष विद्युत यंत्र रिपेरिंग उद्योग

सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

वीर सुभाष विद्युत यंत्र रिपेरिंग उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर./631, दिनांक 03 मई, 1994 है, के संबंध में अभिलेखों के आधार पर संस्था लगातार अकार्यशील है तथा मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम एवं नियम-1962 में वर्णित प्रावधान अनुसार असफल रही है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 21 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदानुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(166-P)

**“कारण बताओ सूचना-पत्र”**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,

संतसौई बुनकर सहकारी संस्था मर्या.,

ग्वालियर।

संतसौई बुनकर सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर./261, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 है, के संबंध में अभिलेखों के आधार पर संस्था लगातार अकार्यशील है तथा मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम एवं नियम-1962 में वर्णित प्रावधान अनुसार असफल रही है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 21 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदानुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(166-Q)

**“कारण बताओ सूचना-पत्र”**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,

गिराज बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुलतानपुर, डबरा,

जिला ग्वालियर.

गिराज बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुलतानपुर, जिला ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर./313, दिनांक 03 अक्टूबर, 2002 है, के संबंध में अभिलेखों के आधार पर संस्था लगातार अकार्यशील है तथा मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम एवं नियम-1962 में वर्णित प्रावधान अनुसार असफल रही है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 21 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदानुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(166-R)

**“कारण बताओ सूचना-पत्र”**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,

सर्वोदय मत्स्यद्योग सहकारी संस्था मर्या., तिघरा,

जिला ग्वालियर.

सर्वोदय मत्स्यद्योग सहकारी संस्था मर्या., तिघरा, जिला ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर./62, दिनांक 27 जनवरी, 1976 है, के संबंध में अभिलेखों के आधार पर संस्था लगातार अकार्यशील है तथा मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम एवं नियम-1962 में वर्णित प्रावधान अनुसार असफल रही है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 21 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदानुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(166-S)

संजय दलेला,  
उपायुक्त (सहकारिता).

## कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, संभाग उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 09 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/159.— मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ 3-3/2012/15-1, भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर, 2015 एवं आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/भूविअ/1/2015/349, दिनांक 09 नवम्बर, 2015 से दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., शाजापुर (पंजीयन क्रमांक 98, दिनांक 12 मार्च, 1963) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2016/17, दिनांक 07 जनवरी, 2016 जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में बैंक के अकार्यशील होने तथा ऋण व्यवसाय बंद होने एवं बैंक के संचित हानि में होने के कारण परिसमापन में लाने के संबंध में जवाब चाहा जाकर अपने पक्ष समर्थन/व्यक्तिगत सुनवाई हेतु मय रिकार्ड के नियत दिनांक 18 जनवरी, 2016 को उपस्थित होकर बैंक महाप्रबंधक द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु समयावधि बढ़ाने की माँग की गई। उन्हें पुनः आगामी दिनांक 08 फरवरी, 2016 तक प्रत्युत्तर, प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया नियत दिनांक 08 फरवरी, 2016 को उपस्थित होकर बैंक द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर युक्तियुक्त एवं समाधान कारक उत्तर नहीं दिया गया। परिणाम स्वरूप, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., शाजापुर द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (ए/क) 69 (2) (सी/ग) एवं 69 (2) (डी/घ) का पालन नहीं किये जाने के कारण परिसमापन में लाया जाना विधि अनुसार आवश्यक है।

अतः मैं, व्ही. पी. मारण, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, संभाग उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-बी, भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., शाजापुर को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर को बैंक का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक तत्काल बैंक का चार्ज प्राप्त कर संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 09 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(167)

उज्जैन, दिनांक 09 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/160.— मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ 3-3/2012/15-1, भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर, 2015 एवं आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/भूविअ/1/2015/349, दिनांक 09 नवम्बर, 2015 से दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., देवास (पंजीयन क्रमांक 70, दिनांक 01 जुलाई, 1962) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2016/13, दिनांक 07 जनवरी, 2016 जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में बैंक के अकार्यशील होने तथा ऋण व्यवसाय बंद होने एवं बैंक के संचित हानि में होने के कारण परिसमापन में लाने के संबंध में जवाब चाहा जाकर अपने पक्ष समर्थन/व्यक्तिगत सुनवाई हेतु मय रिकार्ड के नियत दिनांक 18 जनवरी, 2016 को उपस्थित होने हेतु आहूत किया गया। नियत दिनांक 18 जनवरी, 2016 को उपस्थित होकर बैंक महाप्रबंधक द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु समयावधि बढ़ाने की माँग की गई। उन्हें पुनः आगामी दिनांक 08 फरवरी, 2016 तक प्रत्युत्तर, प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया नियत दिनांक 08 फरवरी, 2016 को उपस्थित होकर बैंक द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर युक्तियुक्त एवं समाधान कारक उत्तर नहीं दिया गया। परिणाम स्वरूप, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., देवास द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (ए/क) 69 (2) (सी/ग) एवं 69 (2) (डी/घ) का पालन नहीं किये जाने के कारण परिसमापन में लाया जाना विधि अनुसार आवश्यक है।

अतः मैं, व्ही. पी. मारण, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, संभाग उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-बी, भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., देवास को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास को बैंक का परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल बैंक का चार्ज प्राप्त कर संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 09 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(167-A)

उज्जैन, दिनांक 09 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/161.— मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ 3-3/2012/15-1, भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर, 2015 एवं आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/भूविअ/1/2015/349, दिनांक 09 नवम्बर, 2015 से दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., उज्जैन (पंजीयन क्रमांक 74, दिनांक 25 फरवरी, 1962) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2016/14, दिनांक 07 जनवरी, 2016 जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में बैंक के अकार्यशील होने तथा ऋण व्यवसाय बंद होने एवं बैंक के संचित हानि में होने के कारण परिसमापन में लाने के संबंध में जवाब चाहा जाकर अपने पक्ष समर्थन/व्यक्तिगत सुनवाई हेतु मय रिकार्ड के नियत दिनांक 18 जनवरी, 2016 को उपस्थित होने हेतु आहूत किया गया। नियत दिनांक 18 जनवरी, 2016 को उपस्थित होकर बैंक महाप्रबंधक द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु समयावधि बढ़ाने की माँग की गई। उन्हें पुनः आगामी दिनांक 08 फरवरी, 2016 तक प्रत्युत्तर, प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया नियत दिनांक 08 फरवरी, 2016 को उपस्थित होकर बैंक द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर युक्तियुक्त एवं समाधान कारक नहीं पाया गया, क्योंकि उत्तर में बैंक के ऋण व्यवसाय बंद होने एवं विगत वर्षों से बैंक के करोड़ों रुपये की संचित हानि में होने के बारे में समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया। परिणाम स्वरूप, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., उज्जैन द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (ए/क) 69 (2) (सी/ग) एवं 69 (2) (डी/घ) का पालन नहीं किये जाने के कारण परिसमापन में लाया जाना विधि अनुसार आवश्यक है।

अतः मैं, व्ही. पी. मारण, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, संभाग उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-बी, भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., उज्जैन को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन को बैंक का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक तत्काल बैंक का चार्ज प्राप्त कर संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 09 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(167-B)

उज्जैन, दिनांक 09 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/162.— मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ 3-3/2012/15-1, भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर, 2015 एवं आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/भूविअ/1/2015/349, दिनांक 09 नवम्बर, 2015 से दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., मंदसौर (पंजीयन क्रमांक 65, दिनांक 20 नवम्बर, 1961) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2016/17, दिनांक 07 जनवरी, 2016 जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में बैंक के अकार्यशील होने तथा ऋण व्यवसाय बंद होने एवं बैंक के संचित हानि में होने के कारण परिसमापन में लाने के संबंध में जवाब चाहा जाकर अपने पक्ष समर्थन/व्यक्तिगत सुनवाई हेतु मय रिकार्ड के नियत दिनांक 18 जनवरी, 2016 को उपस्थित होने हेतु आहूत किया गया। नियत दिनांक 18 जनवरी, 2016 को उपस्थित होकर बैंक महाप्रबंधक द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया। नियत दिनांक 08 फरवरी, 2016 को उपस्थित होकर बैंक द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर युक्तियुक्त एवं समाधान कारक नहीं पाया गया, क्योंकि उत्तर में बैंक के ऋण व्यवसाय बंद होने एवं विगत वर्षों से बैंक के करोड़ों रुपये की संचित

हानि में होने के बारे में समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया। परिणाम स्वरूप, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., मंदसौर द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (ए/क) 69 (2) (सी/ग) एवं 69 (2) (डी/घ) का पालन नहीं किये जाने के कारण परिसमापन में लाया जाना विधि अनुसार आवश्यक है।

अतः मैं, व्ही. पी. मारण, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, संभाग उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-बी, भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., मंदसौर को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मंदसौर को बैंक का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक तत्काल बैंक का चार्ज प्राप्त कर संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 09 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(167-C)

उज्जैन, दिनांक 09 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2016/163.— मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ 3-3/2012/15-1, भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर, 2015 एवं आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/भूविअ/1/2015/349, दिनांक 09 नवम्बर, 2015 से दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., रतलाम (पंजीयन क्रमांक 77, दिनांक 25 फरवरी, 1962) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/2016/16, दिनांक 07 जनवरी, 2016 जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में बैंक के अकार्यशील होने तथा ऋण व्यवसाय बंद होने एवं बैंक के संचित हानि में होने के कारण परिसमापन में लाने के संबंध में जबाब चाहा जाकर अपने पक्ष समर्थन/व्यक्तिगत सुनवाई हेतु मय रिकार्ड के नियत दिनांक 18 जनवरी, 2016 को उपस्थित होने हेतु आहूत किया गया। नियत दिनांक 18 जनवरी, 2016 को उपस्थित होकर बैंक महाप्रबंधक द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु समयावधि बढ़ाने की माँग की गई। उन्हें पुनः आगामी दिनांक 08 फरवरी, 2016 तक प्रत्युत्तर, प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया नियत दिनांक 08 फरवरी, 2016 को उपस्थित होकर बैंक द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर युक्तियुक्त एवं समाधान कारक नहीं पाया गया, क्योंकि उत्तर में बैंक के ऋण व्यवसाय बंद होने एवं विगत वर्षों से बैंक के करोड़ों रुपये की संचित हानि में होने के बारे में समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया। परिणाम स्वरूप, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., रतलाम द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (ए/क) 69 (2) (सी/ग) एवं 69 (2) (डी/घ) का पालन नहीं किये जाने के कारण परिसमापन में लाया जाना विधि अनुसार आवश्यक है।

अतः मैं, व्ही. पी. मारण, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, संभाग उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-बी, भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., रतलाम को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम को बैंक का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक तत्काल बैंक का चार्ज प्राप्त कर संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 03 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 09 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

व्ही. पी. मारण,  
संयुक्त-पंजीयक।

(167-D)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/330.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (बी/ख) (सी/ग) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बामोरा, तहसील उज्जैन	675/28-05-1984
2.	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गावडी, तहसील उज्जैन	1506/03-05-1999

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 13 जनवरी, 2016 पर संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ तथा प्रेषित जवाब समाधानकारक नहीं पाया गया। वर्तमान में संस्था अकार्यशील होकर बंद हैं एवं संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं करवाना, उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्था के पदाधिकारीगण संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ, तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था के नाम के सम्बुद्ध में उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बामोरा, तहसील उज्जैन.	675/28-05-1984	श्री एन. के. अडानिया उप-अंकेक्षक.
2.	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गावडी, तहसील उज्जैन.	1506/03-05-1999	श्री एन. के. अडानिया उप-अंकेक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 05 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

मनोज जायसवाल,  
उप-पंजीयक.

(168)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 13 जनवरी, 2016

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,

द्वारा प्रशासक संत रविदास सहकारी मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या.,

शाजापुर, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 1053, दिनांक 13 सितम्बर, 2011, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र।

क्र./परि./2016/42.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावें :—

1. संस्था गत वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है।
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही।
3. संस्था प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने एवं पंजीयन निरस्त करने हेतु लिखित आवेदन किया गया है।

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 15 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं। आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

(169)

शाजापुर, दिनांक 13 जनवरी, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,

द्वारा प्रशासक शाजापुर सहकारी मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या.,

शाजापुर, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर।

पंजीयन क्रमांक 720, दिनांक 11 जून, 1999, जिला शाजापुर।

**विषय:-** मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र।

क्र./परि./2016/43.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावें :-

1. संस्था गत वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है।
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही।
3. संस्था प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने एवं पंजीयन निरस्त करने हेतु लिखित आवेदन किया गया है।

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 15 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं। आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

(169-A)

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,

द्वारा प्रशासक महांकाल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,

बागौदा, तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर।

पंजीयन क्रमांक 1197, दिनांक 25 फरवरी, 2015, जिला शाजापुर।

**विषय:-** मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र।

विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावें :-

1. संस्था सदस्य संस्था चलाने के इच्छुक नहीं हैं।

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.
3. संस्था प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने एवं पंजीयन निरस्त करने हेतु लिखित आवेदन किया गया है.

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 07 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं। आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

(169-G)

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,

द्वारा प्रशासक उत्तम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,

तिलावदमैना, तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 1145, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014, जिला शाजापुर।

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र।

विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावें :-

1. संस्था सदस्य संस्था चलाने के इच्छुक नहीं हैं।
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही।
3. संस्था प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने एवं पंजीयन निरस्त करने हेतु लिखित आवेदन किया गया है।

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 07 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं। आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

(169-H)

#### कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला शाजापुर

आदर्श महिला साख सहकारी संस्था, धुंसी, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक-16, दिनांक 07 फरवरी, 2014 को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1355, शाजापुर, दिनांक 09 दिसम्बर, 2015 जारी किया गया था। क्यों न संस्था को सूचना-पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में

लाया जाये. कारण बताओ सूचना-पत्र में निम्न बिन्दु नियत की किये गये थे.—

1. संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.
3. संस्था प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने एवं पंजीयन निरस्त करने हेतु लिखित आवेदन किया गया है.

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था.

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 11 जनवरी, 2016 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदर्श महिला साख सहकारी संस्था, घुंसी, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक-16, दिनांक 07 फरवरी, 2014 को आज दिनांक 01 फरवरी, 2016 से परिसमापन में लाती हूँ तथा श्री अशोक बोहरा, स.नि. को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 01 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(169-B)

दीनदयाल सहकारी मुद्रणालय एवं बाईंडर्स, शाजापुर, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक-902, दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1325, शाजापुर, दिनांक 16 नवम्बर, 2015 जारी किया गया था. क्यों न संस्था को सूचना-पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया जाये. कारण बताओ सूचना-पत्र में निम्न बिन्दु नियत की किये गये थे.—

1. संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.
3. संस्था प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने एवं पंजीयन निरस्त करने हेतु लिखित आवेदन किया गया है.

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था.

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 11 जनवरी, 2016 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दीनदयाल सहकारी मुद्रणालय एवं बाईंडर्स, शाजापुर, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक-902, दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 को आज दिनांक 01 फरवरी, 2016 से परिसमापन में लाती हूँ तथा श्री एन. एस. भाटी, अंकेक्षण अधिकारी को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 01 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(169-C)

सरजू महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, मझानिया, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक-687, दिनांक 11 मार्च, 1998 को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1360, शाजापुर, दिनांक 09 दिसम्बर, 2015 जारी किया गया था। क्यों न संस्था को सूचना-पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया जाये। कारण बताओ सूचना-पत्र में निम्न बिन्दु नियत की किये गये थे।—

1. संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है।
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है।
3. संस्था प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने एवं पंजीयन निरस्त करने हेतु लिखित आवेदन किया गया है।

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी) का उल्लंघन किया गया है। संस्था को रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था।

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 11 जनवरी, 2016 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है। अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सरजू महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, मझानिया, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक-687, दिनांक 11 मार्च, 1998 को आज दिनांक 01 फरवरी, 2016 से परिसमापन में लाती हूँ तथा श्री नवीन शर्मा, व.स.नि. को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 01 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(169-D)

माँ भगवती बीज सहकारी संस्था, बोलाई, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक-1134, दिनांक 24 नवम्बर, 2014 को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1357, शाजापुर, दिनांक 09 दिसम्बर, 2015 जारी किया गया था। क्यों न संस्था को सूचना-पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया जाये। कारण बताओ सूचना-पत्र में निम्न बिन्दु नियत की किये गये थे।—

1. संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है।
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है।
3. संस्था प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने एवं पंजीयन निरस्त करने हेतु लिखित आवेदन किया गया है।

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी) का उल्लंघन किया गया है। संस्था को रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था।

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 11 जनवरी, 2016 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है। अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माँ भगवती बीज सहकारी संस्था, बोलाई, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक-1134, दिनांक 24 नवम्बर, 2014 को आज दिनांक 01 फरवरी, 2016 से परिसमापन में लाती हूँ तथा श्री एल. पी. जोशी, व.स.नि. को उपरोक्त संस्था का

परिसमापक नियुक्त करती हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 01 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(169-E)

शाजापुर, दिनांक 04 फरवरी, 2016

क्र./परि./2016/134.—सरदार पटेल मेडिकल सहकारी संस्था मर्या., शुजालपुर, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक-1067, दिनांक 20 जून, 2012 को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/1356, शाजापुर, दिनांक 09 दिसम्बर, 2015 जारी किया गया था। क्यों न संस्था को सूचना-पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया जाये। कारण बताओ सूचना-पत्र में निम्न बिन्दु नियत की किये गये थे—

1. संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है।
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है।
3. संस्था प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने एवं पंजीयन निरस्त करने हेतु लिखित आवेदन किया गया है।

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी) का उल्लंघन किया गया है। संस्था को रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था।

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 11 जनवरी, 2016 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है। अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सरदार पटेल मेडिकल सहकारी संस्था मर्या., शुजालपुर, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक-1067, दिनांक 20 जून, 2012 को आज दिनांक 04 फरवरी, 2016 से परिसमापन में लाती हूँ तथा श्री आर. सी. बीजापारी, व.स.नि. को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 04 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

मीना डाबर,  
उप-पंजीयक।

(169-F)

### कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 12 फरवरी, 2016

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./उ.प.छि./परि./2016/291.—प्रभारी क्षे. सं. दुग्ध सहकारी संघ, जबलपुर, जिला कार्यालय छिन्दवाड़ा का पत्र क्रमांक/1020/क्षे.संघ/दुग्ध संघ/छिन्दवाड़ा/2015, दिनांक 24 नवम्बर, 2015 के द्वारा अवगत कराया गया है कि, निम्न दुग्ध सहकारी संस्थाएं विगत 2 वर्षों से अकार्यशील एवं बंद हैं, उनके द्वारा आमसभा नहीं कराइ गई है। संस्थाएं निम्नानुसार हैं:—

क्रमांक	नाम समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	विकासखण्ड
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., टेमनीकला	364/24-01-1992	मोहखेड़
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पालाखेड	738/03-08-2011	मेहखेड़

1	2	3	4
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तालपिपरिया	583/17-06-1998	मोहखेड़
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बडचिचोली	750/16-03-2012	पॅडुर्णा
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सेंदुरजना	791/28-04-2012	पॅडुर्णा
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., समसवाडा	461/20-12-1994	चौरई

अतः मैं, अनीता उडके, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुये उपरोक्त समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करती हूँ कि उपरोक्तानुसार संस्था विगत 2 वर्षों से अकार्यशील है। अतः क्यों न संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश जारी कर दिये जावें, यदि संस्था इस संबंध में अपना पक्ष समर्थन दिनांक 02 मार्च, 2016 तक चाहती है तो वह इस कारण बताओ सूचना-पत्र का युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें। यदि संस्था ने निर्धारित समयावधि में उत्तर नहीं दिया तो यह माना जावेगा कि उसे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, तदानुसार मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के परिसमापन आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

अनीता उडके,  
उप-रजिस्ट्रार।

(170)

### कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मंडल,

मत्स्य पालन सहकारी संस्था मर्या., गोठनिया।

यहकि मत्स्य पालन सहकारी संस्था मर्या., गोठनिया, विकासखण्ड पेटलावट, जिला झाबुआ का पंजीयक क्र. JBA 1116, दिनांक 08 जुलाई, 2014 है, के द्वारा संस्था के उददेश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है। उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेशक में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है। ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निमानुसार कार्य करने में असफल रही है:—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उददेश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है।
2. संस्था का संचालक मंडल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है।
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मंडलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है।
4. पंजीयन दिनांक से संस्था अकार्यशील है।
5. ऑडिट नोट में संस्था को अवर्गीकृत में रखा गया है।
6. संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र, पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, जी. एल. बडोले, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे।

कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में संस्था का संचालक मंडल अपना प्रतिउत्तर/पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 05 फरवरी, 2016 को दोपहर 12 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अध्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मंडल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधान कारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 20 जनवरी, 2016 को जारी किया गया है।

जी. एल. बडोले,

उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक।

(171)

### कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

झाबुआ, दिनांक 11 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/Q1.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ के आदेश क्र./परि./15/440, झाबुआ, दिनांक 29 सितम्बर, 2015 के अनुसार निम्न सहकारी समितियों का जिनके नाम व पंजीयन दिनांक व आदेश क्रमांक का उल्लेख किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-7 रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत मुझे निम्नांकित समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया हैः—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., थेथम	1055/02-09-2010	213/12,18-03-2014
2.	बाबा गणेश बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नलटीछेडी	1063/30-09-2010	213/13,18-03-2014
3.	दुर्गेश्वरी सहकारी साख संस्था मर्या., पारा	993/05-06-2004	213/05,18-03-2014

अतः मैं, विनोद कुमार रावल, परिसमापक व उप-अंकेक्षक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त संस्थाओं के सम्बन्ध में कोई दावा या आपत्ति या रिकार्ड हो तो इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से 2 माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावे और आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और संस्था के परिसमापन की वैध कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के पूर्व कर्मचारी/सदस्यों/पदाधिकारियों के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे भी उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

विनोद कुमार रावल,

परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक।

(176)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 06 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/94.—परिसमापन समिति दुर्गा बीज क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., रैपुरा, पंजीयन क्रमांक 2987, दिनांक 04 अगस्त, 2008 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/337, दिनांक 07 मार्च, 2015 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री जी. पी. उहारो को परिसमापक नियुक्त किया गया। संशोधित आदेश से श्री जी. पी. गैहलोत को परिसमापक नियुक्त किया।

परिसमापक द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2015 को संस्था के सदस्यों की विशेष आमसभा आयोजित कर संस्था के कार्य संचालन एवं पुनर्जीवित

करने हेतु सदस्यों से चर्चा कर विधिवत्/ठहराव पारित किया गया उक्त प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। परिसमापक द्वारा प्रस्ताव/ठहराव संलग्न कर संस्था को पुनर्जीवित करने हेतु अनुशंसा की गई है, साथ ही नामांकित संचालक मंडल के नाम प्रस्तावित किये हैं। मेरी राय में संस्था का अस्तित्व में बनाये रखना उचित है। तदनुसार प्रस्ताव से सहमत होते हुये मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) में ग्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुर्गा बीज क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., रैपुरा, पंजीयन क्रमांक 2987, दिनांक 04 अगस्त, 2008 को परिसमापन में लाने के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015 337, दिनांक 07 मार्च, 2015 को समाप्त कर संस्था को पुनर्जीवित करता हूँ। संस्था के कार्य संचालन हेतु नामांकित मंडल का अनुमोदन किया जाता है :—

क्रमांक	नाम	पद
1	2	3
1.	श्री योगेन्द्र दुबे/डालचंद दुबे	अध्यक्ष
2.	श्रीमती लताबाई/फूलचंद	उपाध्यक्ष
3.	श्री राजाराम/छोटेलाल	संचालक
4.	श्री पवन/फूलचंद	संचालक
5.	श्री कल्लू/रघुराज	संचालक
6.	श्री नन्हेलाल/कुंजीलाल	संचालक
7.	श्री माखन लाल/भगवानचंद	संचालक
8.	श्री राधेश्याम/फूलचंद	संचालक
9.	श्री रमेश/फूलचंद	संचालक
10.	श्रीमती शांतिबाई/पूरनसिंह	संचालक
11.	श्री उदलसिंह/नेपाल सिंह	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 06 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

के. पाटनकर,  
उप-पंजीयक.

(172)

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, जिला पन्ना

पन्ना, दिनांक 02 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16/01.—कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, जिला पन्ना मध्यप्रदेश के कार्यालयीन पूर्व आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए निर्मांकित सहकारी संस्थाओं का आदेश क्र./परि./2015/998, पन्ना, दिनांक 31 जुलाई, 2015 द्वारा मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश/दिनांक	संशोधित आदेश क्रमांक/दिनांक
			आदेश/दिनांक	
1.	ईंधन आपूर्ति सह. समि. मर्या., रानीपुरा, तह.-पवई.	A.R.P./576,26-12-2003	1453/21-09-2007	998/31-07-2015
2.	आदि. खनिज एवं बनो. सह. समि. मर्या., मनौर, तह.-पन्ना.	A.R.P./282,05-03-1987	1866/24-11-2000	998/31-07-2015
3.	आदि. मत्स्य सह. समि. मर्या., कटरा, तह.-पन्ना	A.R.P./360,03-01-1995	1278/31-12-2010	998/31-07-2015
4.	हरिजन मत्स्य सह. समि. मर्या., खण्ठहा, तह.-देवेन्द्रनगर.	A.R.P./366,08-04-1996	1290/31-12-2010	998/31-07-2015
5.	ग्राम स्त. महिला बहुउ. सह. समि. मर्या., घटारी तह.-गुनौर.	A.R.P./580,22-01-2004	663/18-06-2009	998/31-07-2015

उक्त सहकारी संस्थाओं का पूर्व परिसमापक/अध्यक्ष/सचिव आदि द्वारा मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी रिकार्ड, दस्तावेज आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है।

**अतः** मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (17 वां) सन् 1961 की धारा-71 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि, उक्त समितियों के विरुद्ध जो भी लेनदारी हो, प्रमाण सहित अपने दावे आदि यदि कोई हों, तो इस सूचना प्रकाशित होने के दो माह की अवधि में मेरे समक्ष मेरे कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, उक्त अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावों पर कोई उजरदारी मान्य नहीं होगी और संस्थाओं के उपलब्ध पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों में लेखबद्ध समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का उक्त उल्लेखित विधान एवं नियमों के अंतर्गत परिसमापक को विधिवत् प्रस्तुत किया गया ऐसा समझा जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि, उपरोक्त लिखित सहकारी समितियों से संबंधित कोई भी कागजात, सामान, देनदारियां आदि किसी भी सदस्य/व्यक्ति के पास हों, तो वे इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 1 सप्ताह के अन्दर उल्लेखित कार्यालय में मेरे पास जमा कर देंवे, समयावधि के भीतर कागजात व सामान जमा न करने पर वे जुर्म के भागीदार होंगे तथा मेरे द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना को प्रेषित कर दिया जावेगा।

आर. के. अग्रवाल,

(173)

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

### कार्यालय सहायक पंजीयक एवं परिसमापक, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., पन्ना

पन्ना, दिनांक 17 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/384.—जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., पन्ना, जिला पन्ना मध्यप्रदेश जिसका पंजीयन क्रमांक/पी.एन.ए./एच.ओ./73, दिनांक 21 फरवरी, 1962 है को संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं सागर, संभाग सागर मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक/परिसमापन/विधि/2016/163, सागर, दिनांक 29 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्रमांक-57 (सी/ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन दिनांक से 2 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि के दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 17 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

जी. एम. आठिया,

(175)

सहायक पंजीयक एवं परिसमापक .

### कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

देवास, दिनांक 29 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पारदीखेड़ा।

द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी

पंजीयन क्रमांक 1194, दिनांक 31 जनवरी, 2008।

क्र./परि./2016/172.—आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है। यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 15 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकार्ड के प्रस्तुत करें।

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(174)

देवास, दिनांक 29 जनवरी, 2016

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

दुर्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पीवल्याखुर्द.

द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी

पंजीयन क्रमांक 1404, दिनांक 28 फरवरी, 2014.

क्र./परि./2016/173.—आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है। यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 15 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकार्ड के प्रस्तुत करें।

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(174-A)

देवास, दिनांक 29 जनवरी, 2016

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

दुर्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मोडरिया।

द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी

पंजीयन क्रमांक 1140, दिनांक 15 मई, 2011.

क्र./परि./2016/174.—आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है। यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 15 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकार्ड के प्रस्तुत करें।

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(174-B)

देवास, दिनांक 29 जनवरी, 2016

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पुगिरी।

द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी

पंजीयन क्रमांक 1480, दिनांक 09 सितम्बर, 2014.

क्र./परि./2016/175.—आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है। यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 15 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकार्ड के प्रस्तुत करें।

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(174-C)

देवास, दिनांक 29 जनवरी, 2016

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सालमखेड़ी।

द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी

पंजीयन क्रमांक 1148, दिनांक 06 जून, 2006.

क्र./परि./2016/176.—आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है। यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 15 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकार्ड के प्रस्तुत करें।

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(174-D)

देवास, दिनांक 28 जनवरी, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भंवरा।

द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी

पंजीयन क्रमांक 1489, दिनांक 7 अक्टूबर, 2014.

क्र./परि./2016/177.—आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है। यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 15 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकार्ड के प्रस्तुत करें।

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(174-E)

देवास, दिनांक 28 जनवरी, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लसुडियासोण्डा।

द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी

पंजीयन क्रमांक 1050, दिनांक 19 फरवरी, 2003.

क्र./परि./2016/178.—आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है। यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 15 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकार्ड के प्रस्तुत करें।

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(174-F)

देवास, दिनांक 28 जनवरी, 2016

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दखनीपुर।

द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी

पंजीयन क्रमांक 1495, दिनांक 10 अक्टूबर, 2014.

क्र./परि./2016/179.—आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है। यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 15 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकार्ड के प्रस्तुत करें।

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(174-G)

देवास, दिनांक 28 जनवरी, 2016

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

ब्रह्मा शक्ति सहकारी साख संस्था मर्या., बागली।

द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी

पंजीयन क्रमांक 1002, दिनांक 10 जनवरी, 2002.

क्र./परि./2016/180.—आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है। यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 15 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकार्ड के प्रस्तुत करें।

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(174-H)

देवास, दिनांक 10 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16/262.— दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पोलाखाल, पंजीयन क्रमांक 986, दिनांक 31 मार्च, 2001 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात संस्था द्वारा निर्वाचन न कराये जाने एवं संस्था काफी समय से बंद होने की जानकारी संस्था में दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक श्री आर. के. खरे द्वारा दी गई है। जिससे संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराया जाना सम्भव नहीं है एवं पर्यवेक्षक द्वारा जानकारी दी जाने से अधिनियम की धारा-69 (3) का पालन होता है। इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है। जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पोलाखाल, पंजीयन क्रमांक 986, दिनांक 31 मार्च, 2001 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. के. खरे, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(174-I)

देवास, दिनांक 10 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16/263.— दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मोखा पिपल्या, पंजीयन क्रमांक 1436, दिनांक 26 मई, 2014 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात संस्था द्वारा निर्वाचन न कराये जाने एवं संस्था काफी समय से बंद होने की जानकारी संस्था में दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक श्री आर. के. खरे द्वारा दी गई है। जिससे संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराया जाना सम्भव नहीं है एवं पर्यवेक्षक द्वारा जानकारी दी जाने से अधिनियम की धारा-69 (3) का पालन होता है। इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है। जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मोखा पिपल्या, पंजीयन क्रमांक 1436, दिनांक 26 मई, 2014 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. के. खरे, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(174-J)

देवास, दिनांक 10 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16/264.— दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चांदी, पंजीयन क्रमांक 1484, दिनांक 07 अक्टूबर, 2014 (जिसे आगे केवल

संस्था कहा गया है) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात संस्था द्वारा निर्वाचन न कराये जाने एवं संस्था काफी समय से बंद होने की जानकारी संस्था में दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक श्री एम. तिवारी द्वारा दी गई है. जिससे संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराया जाना सम्भव नहीं है एवं पर्यवेक्षक द्वारा जानकारी दी जाने से अधिनियम की धारा-69 (3) का पालन होता है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चांदी, पंजीयन क्रमांक 1484, दिनांक 07 अक्टूबर, 2014 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एम. तिवारी, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(174-K)

देवास, दिनांक 10 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16/265.— दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मेंडिया, पंजीयन क्रमांक 1488, दिनांक 07 अक्टूबर, 2014 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात संस्था द्वारा निर्वाचन न कराये जाने एवं संस्था काफी समय से बंद होने की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री गंगाराम मालवीय पदस्थी स्थान पशु औषधालय पीपलगढ़ा एवं संस्था में दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक श्री व्ही. के. द्विवेदी द्वारा दी गई है. जिससे संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराया जाना सम्भव नहीं है एवं पर्यवेक्षक द्वारा जानकारी दी जाने से अधिनियम की धारा-69 (3) का पालन होता है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मेंडिया, पंजीयन क्रमांक 1488, दिनांक 07 अक्टूबर, 2014 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. के. द्विवेदी, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(174-L)

देवास, दिनांक 10 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16/266.— मनी राईस साख सहकारी संस्था मर्या., देवास, पंजीयन क्रमांक 20, दिनांक 04 फरवरी, 2014 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात संस्था द्वारा निर्वाचन न कराये जाने एवं संस्था काफी समय से बंद होने की जानकारी संस्था अध्यक्ष श्री भेरुलाल चौहान एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री बी. एल. गोठबाल द्वारा दी गई है. जिससे संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराया जाना सम्भव नहीं है एवं संस्था अध्यक्ष द्वारा जानकारी दी जाने से अधिनियम की धारा-69 (3) का पालन होता है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मनी राईस साख सहकारी संस्था मर्या., देवास, पंजीयन क्रमांक 20, दिनांक 04 फरवरी, 2014 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री धर्मेन्द्र मालवीय, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(174-M)

के. एन. त्रिपाठी,  
उप-आयुक्त सहकारिता.

## कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक
1.	अन्त्याव्यवसायी गायत्री रेत खदान सहकारी संस्था मर्या., गांगर्दी, जिला देवास	749/09-03-1992
2.	आदर्श चर्मद्योग सहकारी संस्था मर्या., बाबड़ीखेडा, जिला देवास	593/30-03-1996
3.	अन्त्याव्यवसायी सहकारी संस्था मर्या., देवमुण्डला, जिला देवास	750/19-05-1992
4.	शुभम साख सहकारी संस्था मर्या., जिला देवास	24/15-03-2004

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वैष्णिव हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो, तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं ए. बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक, संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बाबजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

ए. के. तिवारी,

परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक।

## कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार

धार, दिनांक 10 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम-57 (1)(सी/ग) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्न सहकारी समिति को परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रणदा, तहसील मनावर	1138/19-12-2002	1246/25-08-2014

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 के उपनियम-57 (1)(सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समिति के समस्त दावेदारों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे

लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तदानुसार समिति की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 फरवरी, 2016 को मेरे द्वारा जारी किया गया है।

(177)

धार, दिनांक 10 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम-57 (1)(सी/ग) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्न सहकारी समिति को परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपल्या कामीन, तहसील धरमपुरी	1257/23-09-2010	1246/25-08-2014

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 के उपनियम-57 (1)(सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समिति के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तदानुसार समिति की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 फरवरी, 2016 को मेरे द्वारा जारी किया गया है।

(177-A)

धार, दिनांक 10 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम-57 (1)(सी/ग) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्न सहकारी समिति को परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उटावद, तहसील मनावर	1226/29-03-2007	1291/25-08-2014

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 के उपनियम-57 (1)(सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तदानुसार समिति की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 फरवरी, 2016 को मेरे द्वारा जारी किया गया है।

(177-B)

ओ. पी. राठौर,  
परिसमापक एवं पर्यवेक्षक,

## कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, आष्टा

दिनांक 10 दिसम्बर, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 ( सी ) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/2.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर के आदेश क्रमांक/परि./2015/731, दिनांक 04 अगस्त, 2015 द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 ( 1 ) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया :—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भाऊखेड़ा	1034/06-11-1989	731/04-08-2015
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टिटोरिया	1207/30-11-2002	731/04-08-2015
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टाण्डा	1036/19-07-1994	731/04-08-2015
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अमरपुरा	1043/20-07-1994	731/04-08-2015
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मूण्डलामैना	1136/31-07-1999	731/04-08-2015

अतः मैं, आर. के. रायचूर, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 ( सी ) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयावधि में मुझे कार्यालय पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें। समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावें। अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

आर. के. रायचूर,

सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक।

( 179 )

## कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला दमोह

दमोह, दिनांक 08 फरवरी, 2016

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 ( 3 ) के अन्तर्गत ]

क्र./विधि./16/87.— श्रीराम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., इमलाई, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह, जिसका पंजीयन क्रमांक 766, दिनांक 31 जनवरी, 2013 है। सहायक पंजीयक ( अंकेक्षण ) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा पत्र क्र./अंकेक्षण/39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है, जिस कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

संस्था यह दायित्व था कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करे, लेकिन संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है, जिस कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 08 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

डी. के. त्रिपाठी,

सहायक पंजीयक।

( 178 )



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च 2016-फाल्गुन 14, शके 1937

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

##### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 4 नवम्बर 2015

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छदित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना नहीं पाया गया है।—

( अ ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील कराहल, विजयपुर ( श्योपुर ), भिण्ड, गोहद, मेहगांव, लहार, रोनमिहोना(भिण्ड), ग्वालियर, भितरवार, घाटीगांव ( ग्वालियर ), ईसागढ़, चन्द्रेरी ( अशोकनगर ), लवकुशनगर, गौरीहार, नौगांव, बड़ामल्हरा ( छतरपुर ), अजयगढ़ ( पन्ना ), सागर, रहली, देवरी, गढ़ाकोटा, केसली ( सागर ), मझगावां ( सतना ), खकनार ( बुरहानपुर ), सिवनीमालवा, होशंगबाद, पिपरिया, बनखेड़ी ( होशंगबाद ), पाटन ( जबलपुर ), बिठिया, वैनपुर, मण्डला, घुघरी ( मण्डला ), छिन्दवाड़ा, तामिया ( छिन्दवाड़ा ), बालाघाट ( बालाघाट ) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

( ब ) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील श्योपुर ( श्योपुर ), डबरा ( ग्वालियर ), मुंगावली, अशोकनगर ( अशोकनगर ), छतरपुर, राजनगर, बिजावर ( छतरपुर ) पन्ना, गुनौर ( पन्ना ), बीना, राहतगढ़, मालथोन, शाहगढ़ ( सागर ), नागौद, बिरसिंहपुर ( सतना ), जैतहरी, कोतमा, पुष्पराजगढ़ ( अनूपपुर ), बांधवगढ़ ( उमरिया ) रामपुरनैकिन ( सीधी ), सोहागपुर ( होशंगबाद ) सीहोरा ( जबलपुर ) निवास, नारायणगंज ( मण्डला ) परासिया, सोंसर, अमरबाड़ा ( छिन्दवाड़ा ) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

( स ) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील बकस्वाहा ( छतरपुर ), शाहनगर ( पन्ना ), खुरई, बंडा ( सागर ) रघुराजनगर, उचेहरा ( सतना ) अनूपपुर ( अनूपपुर ) पचमढ़ी ( होशंगबाद ) जबलपुर, मझोली, कुंडम ( जबलपुर ), जुनारदेव, हरई ( छिन्दवाड़ा ) बेहट ( बालाघाट ) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

( द ) 53.0 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील पवई ( पन्ना ), रामपुर बघेलान, अमरपाटन, रामनगर, मैहर ( सतना ), पाली, मानपुर ( उमरिया ) गोपदबनास, सिंहावल, मझोली, कुसमी, चुरहट ( सीधी ) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. जुताई.—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, सागर, दमोह, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, मंदसौर, उज्जैन, देवास, सीहोर, जबलपुर, कटनी, डिण्डोरी व सिवनी में रबी फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. बोनी.—जिला हरदा में फसल गेहूं व चना व कटनी में चना, मसूर व डिण्डोरी में गेहूं, चना, अलसी, मटर, मसूर व श्योपुर, ग्वालियर, सागर, दमोह, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, मंदसौर, उज्जैन, आगर, देवास, धार, इन्दौर, खगोन, सीहोर, जबलपुर व सिवनी में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

**4. फसल स्थिति.—**

**5. कटाई.**—जिला होशंगाबाद, कटनी, मण्डला, डिण्डोरी बालाघाट में फसल धान व पन्ना, अनूपपुर, सीधी, आगर व सिवनी में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

**6. सिंचाई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दमोह, सतना, अनूपपुर, उमरिया, देवास, झाबुआ, बड़वानी, बुरहानपुर, रायसेन, जबलपुर, सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

**7. पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

**8. चारा.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

**9. बीज.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

**10. खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का सासाहिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 04 नवम्बर, 2015

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी ( कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बोज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	..				
2. पोरसा	..				
3. मुरैना	..				
4. जौरा	..				
5. सबलगढ़	..				
6. कैलारस	..				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, बाजरा, ज्वार, तिल, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, मूँगफली, कपास, गन्ना. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	26.0				
2. कराहल	11.0				
3. विजयपुर	11.0				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) ज्वार, बाजरा, तिल. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	..				
2. भिण्ड	10.0				
3. गोहद	3.0				
4. मेहगांव	1.6				
5. लहार	3.2				
6. मिहोना	2.0				
7. रैन	..				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना अधिक. उड़द, मूँगमोठ, तुअर, मूँगफली कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	7.6				
2. डबरा	23.1				
3. भितरवार	13.0				
4. घाटीगांव	6.0				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, उड़द, तिल, मूँगफली, सोयाबीन, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फस समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	..				
2. दतिया	..				
3. भाण्डेर	..				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..				
2. पिछोर	..				
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बद्रवास	..				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, गन्ना अधिक. उड़द कम. (2)	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. ... 8. पर्याप्त.
1. मुँगावली	19.0	..			
2. इसागढ़	3.0				
3. अशोकनगर	31.0				
4. चन्द्रेरी	5.0				
5. शाढ़ौरा	..				
*जिला गुना :	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) (2)	5. ... 6. ...	7. ... 8. ...
1. गुना	..	..			
2. राघोगढ़	..				
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) ज्वार, गन्ना बिगड़ी हुई. (2)	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..	..			
2. पृथ्वीपुर	..				
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलोरा	..				
7. ओरछा	..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तिल अधिक. तुअर कम. (2)	5. ... 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लवकुशनगर	7.0	..			
2. गौरीहार	7.0				
3. नौगांव	11.0				
4. छतरपुर	25.2				
5. राजनगर	20.0				
6. बिजावर	18.0				
7. बड़ामलहरा	10.2				
8. बकस्वाहा	42.4				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, तिल. (2)	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. ... 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	9.6	खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.			
2. पन्ना	20.0				
3. गुनौर	26.0				
4. पर्वई	59.0				
5. शाहनगर	48.3				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तेवड़ा राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज कम. (2)	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना	29.4	जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.			
2. खुरई	39.0				
3. बण्डा	51.4				
4. सागर	16.2				
5. रेहली	10.0				
6. देवरी	10.0				
7. गढ़ाकोटा	2.0				
8. राहतगढ़	20.3				
9. केसली	5.0				
10. मालथोन	28.2				
11. शाहगढ़	30.0				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) ज्वार, तुअर, गेहूं, चना, मटर, मसूर राई-सरसों, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसल समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
<b>जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, सोयाबीन, उड्ढ, तिल कम. तुअर समान. (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. खुराजनगर	41.1				
2. मझगांव	6.0				
3. रामपुर-बघेलान	81.0				
4. नागौद	29.3				
5. उचेहरा	46.0				
6. अमरपाटन	65.0				
7. रामनगर	55.0				
8. मैहर	67.0				
9. बिरसिंहपुर	32.0				
<b>*जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. . . 6. . .	7. . . 8. . .
1. त्यौंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकर्चुलियान	..				
<b>*जिला शहडोल :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. . . 6. . .	7. . . 8. . .
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. गोहपारु	..				
4. जैसिहनगर	..				
5. बुढार	..				
6. जैतपुर	..				
<b>जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, तुअर, कोदो कुटकी, राई, अलसी, धान, गेहूं कम. (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	23.9				
2. अनूपपुर	37.4				
3. कोतमा	32.6				
4. पुष्पराजगढ़	20.5				
<b>जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) मक्का, ज्वार, तिल, को. कुटकी, उड्ढ, मूँगफली, तुअर अधिक. धान, तिल, मूँग, बाजरा, रामतिल, सोयाबीन कम. (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	29.7				
2. पाली	55.5				
3. मानपुर	59.0				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला सीधी :</b> 1. गोपदवनास 2. सिंहावल 3. मझौली 4. कुसमी 5. चुरहट 6. रामपुरनैकिन	मिलीमीटर 84.2 80.4 88.8 60.0 80.0 25.0	2. जुताई एवं रबी की बोनी व खरीफ कटाई का कार्य चालू है।	3. 4. (1) चना, अलसी, राई, सरसों कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
<b>*जिला सिंगरौली :</b> 1. चितरंगी 2. देवसर 3. सिंगरौली	मिलीमीटर .. .. ..	2. ..	3. 4. (1) (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
<b>जिला मन्दसौर :</b> 1. सुवासरा-टप्पा 2. भानपुरा 3. मल्हारगढ़ 4. गरोठ 5. मन्दसौर 6. श्यामगढ़ 7. सीतामऊ 8. धुथड़का 9. संजीत 10. कयामपुर	मिलीमीटर .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है।	3. 4. (1) सोया- अधिक. मक्का कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>जिला नीमच :</b> 1. जावद 2. नीमच 3. मनासा	मिलीमीटर .. .. ..	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक. तिल, तुअर, मूँगफली कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>जिला रत्लाम :</b> 1. जावरा 2. आलोट 3. सैलाना 4. बाजना 5. पिपलौदा 6. रत्लाम	मिलीमीटर .. .. .. .. .. ..	2. ..	3. 4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>जिला उज्जैन :</b> 1. खाचरौद 2. महिदपुर 3. तराना 4. घटिया 5. उज्जैन 6. बड़नगर 7. नागदा	मिलीमीटर .. .. .. .. .. .. ..	2. जुताई एवं रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है।	3. 4. (1) (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>जिला आगर :</b> 1. बड़ौद 2. सुसनेर 3. नलखेड़ा 4. आगर	मिलीमीटर .. .. .. ..	2. रबी फसलों की बोनी व खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है।	3. 4. (1) (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
<b>जिला शाजापुर :</b> 1. मो. बड़ौदिया 2. शाजापुर 3. शुजालपुर 4. कालापीपल 5. गुलाना	मिलीमीटर .. .. .. .. ..	2. ..	3. 4. (1) (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना अधिक. कपास कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद,	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..				
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. गेहूँ चना की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) कपास, तुअर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. थांदला	..				
2. मेघनगर	..				
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मक्का, मूँगफली, सोयाबीन, अधिक ज्वार, बाजरा, उड्ड, कपास तुअर कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जोवट	..				
2. अलीराजपुर	..				
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोणडवा	..				
5. उदयगढ़	..				
6. च. शे. आ. नगर	..				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन अधिक. कपास. गन्ना, मक्का कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	..				
2. सरदारपुर	..				
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..				
2. सांवेर	..				
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अब्देकरनगर)					
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली, अलसी, राई-सरसों अधिक. ज्वार, धान, तुअर, चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..				
2. महेश्वर	..				
3. सेंगांव	..				
4. खरगौन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गना अधिक. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
1. बड़वानी	..				
2. ठीकरी	..				
3. राजकोट	..				
4. सेधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
<b>*जिला खण्डवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. खण्डवा	..				
2. पंथाना	..				
3. हरसूद	..				
<b>जिला बुझानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) कपास, मूँगफली सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुझानपुर	..				
2. खकनार	3.0				
3. नेपानगर	..				
<b>*जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जीरापुर	..				
2. खिलचीपुर	..				
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
<b>जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	..				
2. सिरोंज	..				
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबांग	..				
8. ग्यारसपुर	..				
<b>*जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. बैरसिया	..				
2. बैरागढ़	..				
<b>जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	..				
2. आष्टा	..				
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लांगंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, उड़द, मूँग, तिल अधिक. धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी मूँगफली, सोयाबीन कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रायसेन	..				
2. गैरतगंज	..				
3. बेगमगंज	..				
4. गौहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. भैसदेही	..				
2. घोड़ाडोंगरी	..				
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, सोयाबीन अधिक. तुअर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	5.0				
2. होशंगाबाद	5.2				
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	18.0				
6. पिपरिया	11.2				
7. बनखेड़ी	7.2				
8. पचमढ़ी	46.8				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. रबी फसल गेहूँ की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. ... 8. ...
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, मूँग, उड़द, सोयाबीन, तिल, तुअर कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	33.8				
2. पाटन	11.2				
3. जबलपुर	35.8				
4. मझौली	37.5				
5. कुण्डम	46.0				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं चना मसूर की बोनी व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, तुअर, कोदों, ज्वार. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराष्ट्रौगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, सोयाबीन, धान, उड़द, गन्ना, मूँग. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	..				
2. करेली	..				
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का, सन, तिल, धान, उड़द, तुअर, कोदों-कुटकी, सोयाबीन. समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास	22.0				
2. बिछिया	16.5				
3. नैनपुर	16.0				
4. मण्डला	17.0				
5. घुघरी	12.8				
6. नारायणगंज	27.6				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं गेहूँ, चना, अलसी, मटर, मसूर, की बोनी व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, कोदों-कुटकी, तुअर, उड़द, रामतिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	..				
2. बजाग	..				
3. शाहपुरा	..				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान अधिक. सोया कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	14.2				
2. जुतारदेव	40.2				
3. परासिया	34.2				
4. जामई (तामिया)	14.0				
5. सोंसर	20.2				
6. पांदुण्ठा	..				
7. अमरवाड़ा	32.4				
8. चौरई	..				
9. बिछुआ	..				
10. हरई	42.2				
11. मोहखेड़ा	..				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी की बोनी व कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, को.-कुटकी, सोयाबीन गन्ना कम. मूँग समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	..				
2. केवलारी	..				
3. लखनादौन	..				
4. बरघाट	..				
5. उरई	..				
6. घंसौर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	..				
जिला बालाधाट :	मिलीमीटर	2. धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाधाट	2.0				
2. लाँजी	..				
3. बैहर	40.0				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— \*जिला गुना, रीवा, शहडोल, सिंगरौली, राजगढ, खण्डवा, भोपाल से पत्रक अप्राप्त रहे हैं।

राजीव रंजन,  
आयुक्त,  
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.